ISSN 2394-5303

International Multilingual Research Journal

Printing Area

Issue-01, Vol-01, January 2015

Editor
Dr.Bapu G.Gholap

Editor

Dr. Bapu g. Gholap

(M.A.Mar.& Pol.Sci.,B.Ed.Ph.D.NET.)

❖ 'प्रींटींग एरीया' हे मासिक मालक व प्रकाशक अर्चना राजेंद्र घोडके यांच्या हर्षवर्धन पब्लिकेशन प्रायव्हेट लिमीटेड, लिंबागणेश, जि. बीड महाराष्ट्र येथे मुद्रीत करुन संपादक डॉ. बापू गणपत घोलप यांनी मु.पो.लिंबागणेश, ता.जि.बीड—४३११२६ येथे प्रकाशित केले.

Harshwardhan Publication Pvt.Ltd.

Limbaganesh, Dist. Beed, Pin-431126

Mobi. 09850203295, 07588057695

44) असहयोग आंदोलन में धमतरी जिला का योगदान || 181
डॉ.(श्रीमती) हेमवती ठाकुर, जिला धमतरी (छ.ग.)

45) महिला सशक्तिकरण वर्तमान स्थिति, चुनौतियाँ एवं संभावनाएं || 186
Smt. Cresencia Toppo, sitapur, Dist. Surguja (C.G.)

46) संतालों में सेंदरा || 191
डुमनी माई मुर्मू, राँची विश्वविद्यालय, राँची

47) बुन्देलखण्ड क्षेत्र की ऐतिहासिक, सामाजिक एवं आर्थिक स्थितियां || 193
डॉ० अरूण कौशिक, ऊषा राय

48) मध्यप्रदेश के पीथमपुर औधोगिक क्षेत्र के आर्थिक विकास का अध्ययन् || 196
डॉ सुनील शर्मा, जिला–खरगोन म०प्र०

49) उपनिषद कालीन सामाजिक चेतना–प्राचीन भारत के संदर्भ में। || 198
जुरन सिंह मानकी, रांची, झारखण्ड।

50) झारखण्ड की विरहोर जनजातियों का जनसंख्या || 200
ललसिंह बोयपाई, रांची विश्वविद्यालय, रांची।

51) स्वामी विवेकानन्द का मानव सम्बन्धी अवधारणा... || 201
शांति नाग, राँची विश्वविद्यालय, राँची, झारखण्ड।

Interdisciplinary Multilingual Referred Journal
Contact : 098 50 20 32 95
http://www.vidyawarta.blogspot.com

International Multilingual Research Journal
विद्यावार्ता ™

45

महिला सशक्तिकरण वर्तमान स्थिति, चुनौतियाँ एवं संभावनाएं

Smt. Cresencia Toppo
Asstt. Professor (Economics)
Govt. S.P.M. College sitapur, Dist. **Surguja (C.G.).**

महिला मानव जाति की सभ्यता और संस्कृति के विकास का मूल स्त्रोत है। प्राचीन काल से लेकर आज तक मानवीय मूल्यों के निर्माण की शिक्षिका है। इस अमूल्य शक्शसियत की सशक्तिकरण की बात करने से पूर्ण परम्परागत समाज में महिलाओं का स्थान जानना आवश्यक है। समाज की इकाई परिवार है और नारी परिवार की धुरी है। समाज की मान्यताएं ही किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास को तय करते हैं। आज नारी को सृष्टिकर्ता के रूप में जानते हैं तो ये समाज का दिया हुआ संस्कार है। संस्कृति, समाज और अर्थ इन तीनों बिन्दुओं की नोंकों पर पुरूष ने नारी को अपनी सुविधा और स्वार्थ के कारण दबा रखा था। यही नहीं पुरूष ने नारी के मानवी की उपेक्षा कर 'मादा' के रूप में ही देखा। इसमें पुरूष की कोई गलती नहीं, बल्कि उन्हें समाज और संस्कृति ने जो संस्कार दिए वह उन्हीं संस्कारों से बने दृष्टिकोण से देखता रहा और इसी में नारी केवल भोग्य वस्तु बनकर रह गई।

आज विश्व भर में महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है। यू तो महिला एवं पुरूष की क्षमताएं, शक्तियां एवं गण एक दूसरे के पूरक है किन्तु सभ्यता के विकास के साथ साथ 'पुरूष प्रधानता' की मानसिकता विकसित हुई। पितृ सत्तात्मक परिवार बनने लगे और यहां से लिंग भेद की नीति की नींव रखी गई। विकास के संसाधनों में पुरूष वर्ग का कब्जा हो गया और नारियां परावलम्बी बन गई। इसी कारण आज तक विकास के सभी सूचकांकों चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक स्वावलम्बन और राजनैतिक भागीदारी आदि में उनकी उपलब्धियां पुरूषों से कम है। यहीं तस्वीर महिला सशक्तिकरण का स्याह पक्ष है। जो समाज और वैचारिक दुनियां को महिला की जगह को लेकर चिन्ता में डाल दिया है यद्यपि यह चिन्ता और अध्ययन कोई नया विषय नहीं है। लगभग तीन सदी पहले यह दास्तान शुरू हुई थी। जॉन स्टुअर्ट मिल, मेरी वॉलस्टन क्राफ्ट से होते हुए सीमोन द लोउवा तक होती हुई यह परम्परा भारत में प्रभा खेतान जैसे चिन्तकों तक आती है। स्त्री विचार विमर्श विविध अनुशासनों में अलग—अलग रूप में होता रहा है और हो रहा है पर अन्तर्धाय एक ही है। इसी चिन्तन ने आज महिला सशक्तिकरण को राष्ट्रीय चिन्ता का रूप दिया है। जिससे आज कई प्रयास हो रहे है, इन्हीं प्रयासो के कारण महिलाएं वैयक्तिक स्वतंत्रता एवं सामाजिक समानता के लिए लम्बी संघर्ष कर चुकी पर अब इस संघर्ष के साथ ही समान अधिकारों की अवधारणा को स्थापित कर रही है।

महिलाओं की दशा में सुधार के प्रयास :—

वर्तमान सामाजिक आर्थिक समानता के उद्देश्यों की पूर्ति में महिलाओं के संदर्भ में सामाजिक सुधार आन्दोलनों जो कि विधिक एवं गैर विधिक प्रयास थे परम्परागत कुप्रथाओं को दूर करने में मदद की है जैसे सतीप्रथा, कन्यावध , बालविवाह, कष्टपूर्ण वैधव्य जैसे समस्याओं के बहुप्रचलन ने सुधार कार्यो के लिए विवश किया ताकि इनसे समाज को मुक्ति दिलाई जा सके। सुधार की धारा का प्रवाह ब्रिटिश सरकार, देशी शासकों, सामाजिक संगठनों एवं व्यक्तियों के प्रयासों के माध्यम से हुआ।

महिलाओं के विकास के लिए संवैधानिक प्रावधान है। अतीत में स्त्री शूद्र व अछूत व्यक्तियों के लिए शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण तत्व का कोई प्रावधान नहीं था। जिसे अनुच्छेद २९ (१) के तहत समाप्त करके सबके लिए शिक्षा का मार्ग खोला गया। पुरूष सत्तात्मक प्राचीन समाज में महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित रखा गया था , जिसे अनुच्छेद १४ द्वारा समाप्त करके सभी क्षेत्रों में उन्हें पुरूषों के समान दर्जा दिया गया तथा समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक का प्रावधान दिया गया। अनुच्छेद १५ (१) के द्वारा लिंग के

आधार पर भेदभाव समाप्त करके नारी को पुरूष के समान राजनैतिक अधिकार प्रदान किए गए। विधिक एवं अविधिक प्रयास के बावजूद महिला विकास के स्याह पक्ष है, उसे उजले पक्ष में बदलने के लिए भारत सरकार द्वारा सन् २००० में। नई जनसंख्या नीति घोषित की गई और दसवीं पंचवर्षीय योजना (२००२—२००७) में कई ऐसे प्रावधान किए गए है जो अंधेरे में एक आशा की किरण दिखा सकती है। इस नई जनसंख्या नीति का मूल मंत्र है " विकास करें, प्रजनन दर स्वतः कम हो जाएगी।" इसी नई नीति के तहत् सारा ध्यान स्वास्थ्य, चिकित्सा सेवाओं, प्राथमिक शिक्षा विशेषकर बालिका शिक्षा पर दिया जा सकता है।

केन्द्र सरकार द्वारा महिला विकास के प्रयास :—

केन्द्र सरकार द्वारा महिलाओं के विकास एवं सशक्तिकरण हेतु कई समन्वित परियोजना है जो निम्नलिखित है :—

१. स्वयं सिद्ध परियोजना —
२. स्वशक्ति परियोजना —
३. महिलाओं के लिए प्रशिक्षण एवं रोजगार कार्यक्रम को समर्थन —
४. स्वावलम्बन —
५. कामकाजी एवं बीमार महिलाओं के बच्चों के लिए शिशु सदन १ दिन में देख रेख केन्द्र
६. कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास —
७. स्वाधार —
८. **राष्ट्रीय महिला कोष —**

केन्द्र सरकार के अलावा विभिन्न राज्यों के सरकारों द्वारा भी महिला विकास हेतु कार्य की जा रही है। कुछ प्रमुख योजनाएं निम्नलिखित है :—

१. पंचधारा योजना
क) वात्सल्य योजना
ख) ग्राम्य योजना
ग) आयुष्मती योजना
घ) सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना
ङ) कल्प वृक्ष योजना
२. ग्रामीण इंजीनियर योजना
३. स्वास्थ्य सखी योजना
४. कृषक वृद्धावस्था योजना
५. सेन्ट्री मार्ट योजना
६. किशोरी बालिका योजना
७. अपनी बेटी अपना धन योजना
८. देवीरूपक योजना
९. शिक्षा आपके द्वार योजना
१०. कामधेनु योजना
११. बालिका संरक्षण योजना

महिला सशक्तिकरण :—

८ मार्च १९७५ को सर्वोच्च विश्व संस्था "संयुक्त राष्ट्र संघ" द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया गया और यह निर्धारित किया गया कि ८ मार्च को प्रतिवर्ष अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाए। इस सकारात्मक प्रयास के बाद सम्पूर्ण विश्व में महिलाओं की प्रगति जारी है। पिछले १५—१६ वर्षों से भारत में महिला सशक्तिकरण का नया दौर शुरू हुआ है। जैसे :—

आर्थिक सशक्तिकरण :

शिक्षा ग्रहण कर महा नगरी एवं शहरी महिलाएं अपने लिए प्रतिबंधित क्षेत्र को भी हासिल कर रही है। सार्वजनिक जगहों में अपना वर्चस्व स्थापित कर स्वयं की एक नई पहचान बना रही है। परिवार का आर्थिक बोझ कम कर परिवार में सम्मान प्राप्त कर रही है आज की कामकाजी महिला भी घरेलू कार्यों में सहायता के लिए सहायिका होती हैं। इस तरह नौकरी पेशा महिलाएं अपने परिवार के साथ —साथ अपनी सहायिका के परिवार को भी आर्थिक स्वावलम्बन बना रही हैं।

ग्रामीण महिलाएं मनरेगा के माध्यम से आर्थिक सशक्तिकरण को प्राप्त कर रही हैं। गर्भवती महिलाओं को मातृत्व अवकाश का लाभ भी है। कई महिलाएं गैर सरकारी संगठनों से जुड़कर, नाबार्ड के माध्यम से स्वारोजगार योजनाओं का लाभ ले रही है, अपनी छोटी बचत योजना द्वारा महिला स्वसहायता समूहों का निर्माण कर अपने खाली समयों के सदुपयोग के साथ —साथ अपने पारिवारिक दायरें में रहकर कुटीर उद्योगों में शामिल हो धन अर्जित कर रही हैं।

शैक्षणिक सशक्तिकरण :—

महिला शिक्षा के प्रति चेतना की लहर ब्रिटिशकाल में ही चलने लगी थी। विभिन्न सरकारी प्रयासों के कारण

आज महिला शिक्षा की दिशा में काफी प्रगति हुई है। महानगरों में महिलाएं पुरूषों की तरह वाणिज्य, प्रबंधन, जन संचार जैसे आधुनिक विषय पढ़ रही है। इसके अलावा तकनीकी शिक्षा और औद्योगिक प्रशिक्षण में भी शहरी महिलाओं की संख्या बढ़ रही है। गांवों और कस्बों की महिलाएं, कला, शिक्षा या चिकित्सा के विषयों को पढ़ आगे बढ़ रही है। शिक्षा के कारण महिलाएं समाज में अपनी स्वतंत्र पहचान बना रही हैं। पहले महिलाएं अपनी आर्थिक समस्याओं के चलते मजबूरी में घर की चार दीवारी लांघ कर व्यावसायिक क्षेत्र में सक्रिय होती थी लेकिन अब महिलाएं अपने आत्मसम्मान और सुनहरे भविष्य के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहीं हैं।

महिलाओं पर ही जीवन आधारित है वे ही समाज के अन्य वर्गों को शिक्षा प्रदान करती है। अत: आज हर शिक्षित महिला प्रेरणाप्रद बन रही हैं यही कारण है कि अब गांव के अनपढ़ मां —बाप भी अपनी बेटी को शहर के स्कूलों एवं कॉलेजों में भेजने का सपना देखनें लगे हैं। शिक्षा को अन्य सभी समस्याओं को सुलझाने का साधन मान कर लड़कियों को उच्च शिक्षा दी जा रही है। आज लड़कियां अपने मन पसंद का विषय चुनने के साथ अपनी इच्छा की नौकरी करने लगी हैं। अर्थात् शिक्षा से रोजगार और रोजगार से आर्थिक स्वतंत्रता स्थापित होती जा रही है। अभी कुछ समय पूर्व तक महिलाओं को शिक्षित तो किया जाता था लेकिन उनसे नौकरी करवाना परिवार की शान के खिलाफ समझा जाता था ये चुनौती अब पुरातनवादी दृष्टिकोण बन कर रह गई हैं। पहले लड़की की नौकरी उसके विवाह में दिक्कतें पैदा करती थी पर अब कामकाजी बहू सबकी पसंद है। शिक्षा रूपी उपकरण नई समाज व्यवस्था का सृजन करने के लिए महिलाओं को सक्षम बना रहा है।

राजनैतिक सशक्तिकरण :—

आज महिलाएं जमीनी सतह से सशक्त हो रही हैं। महिलाओं की सत्ता में भागीदारी हेतु ''२३ अप्रैल १९९३'' का दिन इतिहास के पन्नों में लाल स्याही से अंकित किया गया। क्योंकि इसी दिन पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इस नवीन पंचायत व्यवस्था का अत्यन्त महत्वपूर्ण पहलू राजनैतिक सत्ता व प्रक्रिया में महिलाओं के लिए १/३ आरक्षण की व्यवस्था है। इससे पहले इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी। आज महिलाओं ने ग्रामीण विकास की निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित की व महिलाओं को राजनैतिक रूप से सशक्त बनाने में संविधान के अनुच्छेद २४३ में संशोधन कर स्थानीय सरकार में ५० प्रतिशत आरक्षण दिया गया। पंचायती राज व्यवस्था में भागीदारी से महिलाओं की छवि निरन्तर बदली है। एक नई राजनैतिक संस्कृति भी विकसित हुई है। महिलाएं राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक क्रियाकलापों में जुड़ी हैं। उन्हें अपने विचारों को प्रस्तुत करने का मंच मिला। उनकी नेतृत्व एवं निर्णय लेने की क्षमता विकसित हुई। इसमें ग्रामीण महिलाओं एवं किशोरियों का मनोबल ऊंचा हुआ है। आज भारत में १० लाख से अधिक महिला निर्वाचित प्रतिनिधि हैं जो दुनियां के किसी भी देश में नहीं है। कई महिलाएं विधानसभा चुनावों में जीत हासिल कर मुख्यमंत्री के रूप में जनता का प्रतिनिधित्व कर रही है। वर्तमान में लोकसभा स्पीकर भी महिला ही हैं ये राजनैतिक सशक्तिकरण ही तो है।

सामाजिक सम्मान :—

जीवन की हर अवस्था में दूसरों पर आश्रित रहने वाली महिला आज शिक्षा, रोजगार एवं आय के माध्यम से अपनी जिन्दगी की बागडोर अपने हाथों में लेकर आधुनिक एवं खुशहाल जीवन यापन कर रही है। पितृसत्तात्मक परिवार होने के कारण सम्पत्ति एवं वंश पुरूष के नाम होने की प्रथा है। जहां महिला का स्थान शून्य सा रहा । आज १९५६ की उत्तराधिकार सम्पत्ति संबंधी संशोधित अधिनियम (हिन्दु लॉ) पुत्र एवं पुत्री को सम्पत्ति पर समान अधिकार प्रदान करने से संबंधित था। जिसका समग्र लाभ नहीं मिल सका लेकिन सन् २००५ में केन्द्र सरकार ने यह महत्वपूर्ण कानून सारे भारत में लागू किया जिससे कई परिवारों में पुत्रियों को इसका लाभ मिलने लगा है। लेकिन इस विचार पर समर्थन के लिए बेटियों को और इंतजार करना पड़ेगा। आज शिक्षित एवं नौकरीपेशा महिलाएं अपने नाम जमीन, मकान क्रय कर स्वयं के नाम सम्पत्ति अर्जित कर रही है। बैंक बचत निर्मित कर रही है, आभूषणों में पैसे लगा

रही है जो परिवार की भविष्य की पूंजी का द्योतक है। शिक्षा, रोजगार एवं आय के कारण महिलाएं परिवार में सम्मान प्राप्त कर रही है। किसी भी प्रकार के पारिवारिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों में महिलाएं आज सिर्फ सहभागिता नहीं बल्कि महत्वपूर्ण निर्णय एवं प्रबंध में योगदान दे रही है। पुत्रियां आज बाप की बोझ नहीं बल्कि सहारा बन रही है। पराया धन नहीं बल्कि दो—दो परिवारों की अर्थ यश बन रही हैं। चार दीवारों में बंद नहीं बल्कि सार्वजनिक जगहों में कार्य कर ख्याति अर्जित कर रही है अगर उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाए तो महिलाएं परिवार, समाज एवं देश को सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा सकती है। दोहरी जिम्मेदारियों के निर्वाहन में परिवार का साथ हो तो सार्वजनिक जगहों में अपने आप को बेहतर स्थापि कर लेंगी।

महिला विकास का स्याह पक्ष :—

देश की आधी आबादी कही जाने वाली महिलाओं का विकास किए बिना देश के विकास की बात करना रेत में लिखने के समान होगा जिसे आधी आबादी के पिछड़ेपन रूपी आंधी आकर धरासायी कर देगी। अत: महिलाओं के विकास के लिए सरकारी —गैर सरकारी कई प्रयास हो रहे हैं जिसके परिणास्वरूप महिलाओं की आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास होती दिखाई दे रही है और पूरे देश में महिला विकास की चर्चा हो रही है इन्हें और आगे ले जाने, प्रेरित करने इस विषय पर सेमिनार, कार्यशालाएं की जाती रही हैं और कुछ ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जैसे दुनियां भर के संसाधन आज महिलाओं को ही समर्पित है इससे महिलाओं का विकास हो रहा है इसे झुठलाया नही जा सकता। लेकिन यह पूरा सच भी नहीं है। 'संयुक्त राष्ट्र संघ' अन्तर्राष्ट्रीय मापकों सूचकों की दशष्टि से महिला विकास को परखा जाए तो पता चलता है कि प्रति व्यक्ति आय, जीवन स्तर एवं पर्यावरण दशा बेहद निराशाजनक है। राष्ट्रीय महिला विकास मापदण्ड महिलाओं की शिक्षा, लिंगानुपात, सामाजिक सुरक्षा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाएं और काम की आजादी की कसौटियों पर देखा जाए तो पता चलता है कि कुछेक महिलाओं के आधार पर दुनियां की आधी आबादी कही जाने वाली महिलाओं की स्थिति में सुधार आ गया है ऐसा नहीं मान सकते महिला विकास के तस्वीर का दूसरा रूप कहीं अधिक स्याह है और निराशाजनक है जो भारत की जनगणना २००१—२०११ के दौरान प्राप्त विभिन्न आंकड़ों से स्पष्ट होता है।

जनगणना २०११ के आंकड़े

कुल जनसंख्या	—	1,210,9342
पुरूष जनसंख्या	—	623,724,248
महिला जनसंख्या	—	586,469,174
कुल साक्षरता	—	74.04 %
पुरूष साक्षरता	—	82.14 %
महिला साक्षरता	—	65.46 %
लिंगानुपात प्रति महिलाएं	—	१००० पुरूषों पर ९४०
कार्यसहभागिता दर	—	38.46 %

शिक्षा विकास को प्रतिविम्बित करती है सामाजिक, आर्थिक, सांस्कशतिक विकास का द्योतक है किन्तु आंकड़ें बताते हैं कि लगभग आधी महिला जनसंख्या पूर्णतया निरक्षर है और विगत दशक (१९९१ — २००१) में महिला निरक्षरता अपेक्षाकशत बढ़ी है।

लिंगानुपात जैसे मामले में तो हम पाकिस्तान जैसे देश से भी बहुत पीछे है क्या इसे विकास कहें ? कि हमारे यहां प्रतिवर्ष हजारों शिशुओं को गर्भ में ही सिर्फ इसीलिए हत्या कर दी जाती है कि गर्भ में पल रहा वो जीवन किसी कन्या का होता है। अशिक्षा, बेरोजगारी के कारण इस प्रकार की पारिवारिक निर्णयों में महिला विरोध भी नहीं कर पाती हैं।

समान काम के बदले समान वेतन प्राप्त करना हमारा मौलिक अधिकार है लेकिन भारत सरकार की आर्थिक समीक्षा २००४ बताती है कि इस मामले में बेहद विसंगति है सरकारी आंकड़ें बताते हैं कि कार्यस्थलों पर महिलाओं को विभिन्न प्रकार के शोषण का शिकार होना पड़ता है। पहले महिलाएं घर में अपनों द्वारा शोषित होती थी आज सार्वजनिक जगहों पर दूसरों द्वारा शोषित हो रही है। उन्हें प्रतिकूल परिस्थितियों में काम करना पड़ रहा है और प्रत्येक स्तर पर उन्हें भेदभाव का शिकार होना पड़ रहा है। तो कैसे कहा जा सकता है कि महिलाओं का विकास हो रहा है। महिलाएं आर्थिक रूप

से जरूर सशक्त हो रही है किन्तु मानसिक सशक्तिकरण अभी बाकी है।

महिलाओं के खिलाफ बढ़ता अपराधों का ग्राफ 'महिला विकास' की पोल खोलने को काफी है न तो महिलाएं दूर दराज के गांवों में सुरक्षित है और न ही देश की राजधानी के राजपथ पर। कई महिलाएं मानसिक निराशा के कारण आत्महत्या करती है अगर महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था दुरूस्त नहीं होगी तो महिलाओं के पांव जो घर की चार दीवारी के बाहर पड़ी है पुनः चौखट के अन्दर जाने को मजबूर होगीं जो कि देश के विकास को प्रभावित करेगी।

राजनीति में किसी वर्ग या जाति की भागीदारी भी उनके विकास का आधार है महिला जाति दुर्भाग्य से भारतीय राजनीति में प्रतिनिधित्व में बहुत कम है यदि हम कुछेक नामों को छोड़ दे तो भारत की राजनैतिक पटल लगभग नहीं होने के कारण महिला हित संबंधी निर्णयों के लिए सरकार पर दबाव नहीं बन पाता है और महिलाएं विकास में पीछे हो रही है।

महिला विकास के इस स्याह पक्षों को स्थायी नहीं कहा जा सकता। इन चुनौतियों को नकारा भी नहीं जा सकता। परन्तु इसी नकारात्मक भी नहीं माना जा सकता क्योंकि रोगी का उपचार तभी संभव है। जब उसकी वस्तु स्थिति का भान हो। निश्चित ही ये स्याह पक्ष, महिला विकास के चिन्तकों तथा सरकारी व गैर सरकारी संगठनों का ध्यान उसके उजले पक्ष की ओर ले जाने में मदद करेगा। इन चुनौतियों का सामना करते हुए देश की आधी आबादी की जिस दिन यह सामूहिक स्वर होगी कि —

सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो
जिन्हें छत तक जाना है
मेरी मंजिल तो आसमान है
रास्ता मुझे खुद बनाना है।

आज महिलाओं को पर्दे और गुमनामी से बाहर पुरूषों की दया, सहानुभूति से परे स्वयं जागरूक होने की आवश्यकता है। सरकार के प्रयास, परिवार का प्रोत्साहन से महिलाएं निश्चित आगे बढ़ेंगी। नये सामाजिक मूल्यों के साथ, नई मानसिकता की ओर अग्रसर होंगी तभी वे अपनी आर्थिक, सामाजिक , पारिवारिक गुलामी की जंजीर को उतार फेंकने में सबल होंगी। यद्यपि यह भी सत्य है कि यह काम इतना आसान नहीं है। आज आवश्यकता है शिक्षा की, महिला के आर्थिक सशक्तिकरण की क्योंकि आर्थिक सशक्तिकरण के बाद तो सम्पूर्ण सशक्तिकरण प्राप्त हो ही जाता है। महिला के स्वयं की जागरूकता और सरकारी प्रयासों के ईमानदारी पूर्वक निर्वाहन की आवश्यकता है। इसके बाद ऐसा कोई कारण नहीं कि महिलाएं विकास की दौड़ में पीछे छूट जाए फिर ऐसी शिक्षित एवं समझदार महिलाओं को कोई दबा नहीं सकेगा। नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन के विचार अनुरूप भी भारतीय महिलाओं का शीघ्र विकास हो सकता है क्योंकि विकास के लिए अधिकार जरूरी है।

संदर्भ :

१.महिला विकास —स्वप्निल सारस्वत एक परिदृश्य
२. महिला एवं विकास — डॉ. राजकुमार
३. नारी तुम क्या — एम.एम. अंसारी
४.स्त्री शिक्षा, एक मूल्यांकन — डॉ. रेणु त्रिपाठी , डॉ. अर्पणा त्रिपाठी
५. अतीत होती सदी और स्त्री का भविष्य — राजेन्द्र यादव, अर्चना वर्मा
६. स्त्रियां पर्दे से प्रजातंत्र तक — दुष्यन्त
७. औरत त्रासदी का सच — ज्ञानेन्द्र रावत
८. नारी के बदलते आयाम — डॉ. राजकुमार
९. महिला सशक्तिकरण का सच—मीनाक्षी निशांत सिंह
१०.प्राचीन भारत में नारी — डॉ. उर्मिला प्रकाश मिश्र
११. भारत में महिलाओं की वैधानिक स्थिति — सुधारानी श्रीवास्तव
१२. भारतीय समाज में कार्यशील महिलाएं — रमा शर्मा, एम.के. शर्मा
१३. गैर सरकारी संगठन — राजेन्द्र चंद्रकांत राय
१४. भारतीय महिला सामाजिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन —डॉ. राज कुमार
१५. महिला विकास कार्यक्रम — डॉ. आदर्श कुमार

46

''संतालों में सेंदरा''

शोधार्थी
डुमनी माई मुर्मू
जनजातीय एवं क्षेत्रीय विभाग
राँची विश्वविद्यालय, राँची

****

संताल हमारे देश की तीसरी बड़ी जनजाति है ये ''भारत के बिहार, झारखण्ड, पश्चिम बंगाल, मध्यप्रदेश, उड़ीसा, असम, नागालैण्ड, अण्डमान निकोबार द्वीप समूह'' में निवास करती है। इनकी बड़ी जनसंख्या ''भारत के अलावा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मारिशय आदि देशों में बसी हुई है।'' इसके नामकरण के संबंध में ''सांतभूम'' से हुई है और इनका मूल रूप सॉतहोड़ है जो कालान्तर में सान्ताड़ और सान्तरूड़ से संताल बना। जे० ट्रोयसी ने ''समानता'' साउन्त के अगल—बगल का ही दूसरा नाम है। इस तरह अनेक मानवशास्त्रियों ने उन्हें स्थान और परिवेशानुसार नाम दिया, किन्तु संताल अपने आप को होड़ से संबोधित करते है। संताल प्रोटोस्ट्रोलाइड प्रजाति के है, इनकी मातृभाषा संताली है और ये आस्ट्रोएशियाटिक आग्नेय भाषा परिवार से संबद्ध है। इनलोगों की लिखित साहित्य की तुलना में लोक साहित्य काफी विस्तारित हैं संतालों का परिवार पितृसत्तात्मक और पितृवंशी है। ये आत्मावादी, बोंगावादी एवं प्रकृतिवादी है। ये अपने सामाजिक, आर्थिक एवं सास्कशति के साथ—साथ शिकारादि मान्यताओं परम्पराओं से आनन्दमय जीवन व्यतीत करते आ रहे हैं। इनकी लोक परम्पराएँ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक , मनोवैज्ञानिक, क्रियाकलापों एवं रहस्यों से परिपूर्ण है। इनके इन्हीं दृश्यों को देखते हुए समाज में इसके महत्व को नजर अंदाज नहीं किया जा सकता है। शिकार अर्थात् सेंदरा। संतालों के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक जीवन में शिकार महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इनके समाज में केवल पुरूष वर्ग ही सेंदरा में भाग लेते है। यह युवक के पारिवारिक जीवन में खरा उतरने का परिचायक है। देखा जाए तो सेन्दरा के अनेक अहम् पहलू है जैसे— क) भोजन के साथ—साथ आवश्यकताओं की चीजों की पूर्ति करना, ख) इसके द्वारा युद्ध कला एवं आत्मरक्षा के गुर सिखाना, ग) फसलों की सुरक्षा के लिए, घ) समूह या समाज में राजनीतिक एकता को कायम करना, ड़) परिवार एवं सामाजिक उत्तरदायित्व की जिम्मेवारी को समझाना, च) सेंदरा द्वारा सीमा का आधिकारिक स्थानों का निरीक्षण करना, छ) आस—पास के देवी—देवताओं को खुश करना इत्यादि।

संतालों में सेंदरा जाने के पहले गिरा (सदेश) बांधते है। यह गिरा खजूर के पत्ते से बना होता है। इस सेंदरा गिरा को सदेरा परिषद् एवं देश के लोगों द्वारा छोड़ा है या प्रसारित करते है कि फलाना दिन में फलाना पहाड़ का सेंदरा आयोजन होगा। सभी युवा व पुरूष वर्ग सेंदरा की तैयारी करते है। जिन घरों के पुरूष या युवा सेंदरा के लिए जाते है, उनके घर की महिलाएं उनके खाने पीने की चीजों को बांध देती है। पुरूष अपने पत्नियों के सुहाग के निशानी मेड़ेहेद साकोम (लोहाखाड़ू) व सिंदूर को अपने साथ शिकार पर ले लाते है। चूंकि संताल समाज के रीति—रिवाजों में देखा गया है कि पुरूष का पहले मृत्यु हो जाने पर इस मेड़ेहेद साकोम (लोहाखाड़ू) को उसकी स्त्री से खोलकर मृतक को दिया जाता है। यहाँ पुरूष सेंदरा अर्थात् युद्ध पर निकला है अनजान वक्त आगे क्या है नहीं जानते इसलिए उसके साथ उनके निशानियों को देते है ताकि उसे याद रहे कि उसे लौटकर आना है और यह भी कहा जाता है कि उसकी शक्तियाँ व सुरक्षा में वृद्धि होती है। सेंदरा में गए पुरूष की स्त्रियां भी अपने पति की मंगल कामना करते हुए नियमों का पालन करती है। वे तेल का प्रयोग से वंचित रहती है, घर की लिपाई नहीं करती, अपने बालों की कंघी से नहीं झाड़ती इत्यादि नियमों को मानती है।

संताले में दिशोम सेंदरा मनोरंजन तक ही सीमित नहीं बल्कि इनके और भी उद्देश्य है जैसे — क) सेंदरा द्वारा वनों की सीमा व स्थिति का निरीक्षण करना, ख) पहाड़ जंगल में पेड़—पौधे, औषधी आदि का निरीक्षण

International Multilingual Research Journal

Archaeology
International Relations
Sociology
Public Administration
Geography
Law and Legislature
Social Media
Social work
Film Studies
Print Journalism
Social Psychology
Museology
Information Sciences
Nature
Sculpture
Demography
Arts & Theatre
Speech Communication
Communication Studies
Economics
Psychology
Criminology
Library Sciences
Statistics
Fine Arts
Advertisement
Cultural studies
Human Sciences
TV Journalism

Instructions For Writers & Scholars.

Printing Area, Welcomes full length research papers short communications reviews articles in all areas of languages & social sciences.

- Articles should be in MS-Word OR Pagemaker, Font- Kruti Dev 55, ISM-DVB-TT Dhruv, Times New Roman, Size 14 OR 12 . All settings should be normal.
- Graphs, Maps,Pictures , Tables etc. are expected in the proper place of Pagemaker Setting.
- Papers will be accepted in soft copy only. Articles must be self written and they should not be copied and disputed.
- In case of the publication of articles the final decision will be of the editorial board.
- All the rules and regulations of research methodology must be followed.
- Research paper must be within 2000 words (maximum 5 pages.)

'प्रिंटींग एरिया' इस अनुसंधानात्मक पत्रिका में उच्च शिक्षा से संबंधीत सभी भाषाओंके और सभी विषयों के शोध निबंध / आलेख प्रकाशित किये जाते हैं । अपना मौलिक लेखन MS-Word OR Pagemaker, Font- Kruti Dev 55, ISM-DVB-TT Dhruv, Times New Roman, Size 14 OR 12 . में भेजे । आलेख के साथ अपना पुरा पत्ता भेजे ।

Harshwardhan Publication Pvt.Ltd.
At.Post.Limbaganesh, Tq.Dist.Beed
Pin-431126 (Maharashtra)
vidyawarta@gmail.com
Cell : 098 50 20 32 95
075 88 05 76 95

Publisher & Owner

Archana Rajendra Ghodke

& Edit By

Dr.Gholap Bapu Ganpat

₹ 300/-

Event Management
Physical Education & Sports
Economics
Science
Philosophy
Media Ecology
Rhetorical Studies
Leadership studies
Management Studies
Political Science
Philosophy
Administrative Sciences
History
Religious Studies
Photography
Environment
Public Relation
Human Geography
Radio Journalism
Languages and Literature
Recreational Arts
Dance & Music
Painting
New Media
Human Behaviour
Forensic Science
Jurisprudence
Performing Arts